



म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551968, 2551756

website : www.mpagro.org

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

वर्ष 2024–25 एवं आगे की अवधि के लिये  
जीरा, स्याह जीरा, सौफ, विलायती सौफ, अजवाइन, पार्शले  
(अजमोद), सौआ (डिल) कलौजीं, प्याज एवं मैथी, के प्रमाणित  
बीज / संकर सत्यरूप (Truthfull Level) / रिसर्च सत्यरूप (Truthfull  
Level) बीजों के प्रदाय हेतु रेट कांट्रेक्ट ऑफर

(पात्र बीज उत्पादको से)

के प्रमाणित बीज / संकर सत्यरूप (Truthfull Level) /  
रिसर्च सत्यरूप (Truthfull Level) बीजों  
के प्रदाय हेतु रेट कांट्रेक्ट ऑफर  
(पात्र बीज उत्पादको से)

दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक

12.12.2024 अपरान्ह 2:00 बजे तक



## म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : [mpagrohobpl@gmail.com](mailto:mpagrohobpl@gmail.com), Phone No (0755)- 2551968, 2551756

website : [www.mpagro.org](http://www.mpagro.org)

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

मुख्या/बीज/उद्यान/2024-25/

भोपाल, दिनांक .....

### रेट कान्ट्रेक्ट आफर (आर.सी.ओ) अल्प अवधि सूचना

निगम द्वारा वर्ष 2024-25 एवं आगे की अवधि के लिये निगम के माध्यम से जीरा, स्याह जीरा, सौफ, विलायती सौफ, अजवाइन, पार्शले (अजमोद), सौंआ (डिल) कलौजी, प्याज एवं मैथी के प्रमाणित/संकर (सत्यरूप)/रिसर्च (सत्यरूप) बीजों के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में निर्दिष्ट अहर्ताएं पूर्ण करने वाले उत्पादकों से ई-टेंडर के अन्तर्गत दर प्रस्ताव संकल्प धनराशि के साथ **दिनांक 12.12.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे** तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) तथा निगम की वेबसाइट <http://mpagro.org> पर उपलब्ध है, दस्तावेज [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) से ही डाउनलोड किए जा सकेंगे तथा इसी वेबसाइट पर अपलोड किए जाना हैं। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

प्रबंधक (उद्यान)



## म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : [mpagrohobpl@gmail.com](mailto:mpagrohobpl@gmail.com), Phone No (0755)- 2551968, 2551756

website : [www.mpagro.org](http://www.mpagro.org)

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

### जीरा, स्याह जीरा, सौफ, विलायती सौफ, अजवाइन, पार्शले (अजमोद), सौंआ (डिल) कलौजीं, प्याज एवं मैथी

के प्रमाणित/संकर (सत्यरूप)/रिसर्च (सत्यरूप) बीजों के प्रदाय हेतु रेट  
कान्ट्रेक्ट आफर (आर.सी.ओ.)

| क्रमांक | विवरण                                                                                                               | परिशिष्ट क्रमांक     | पृष्ठ क्रमांक |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1       | डिस्क्लेमर                                                                                                          | परिशिष्ट 1           | 5             |
| 2       | कार्य के अवसर                                                                                                       | परिशिष्ट 1           | 5             |
| 3       | ऑफरकर्ता को निर्देश                                                                                                 | परिशिष्ट 1           | 5             |
| 4       | आरसीओ प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण                                                                     | परिशिष्ट 1           | 6             |
| 5       | ऑफर की सामान्य शर्तें                                                                                               | परिशिष्ट 2           | 7-12          |
| 6       | तकनीकी योग्यता, व सामग्री के मापदंड दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है                 | परिशिष्ट 3 अ, ब स    | 13 -15        |
| 7       | तकनीकी योग्यता, के दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है                                  | परिशिष्ट 4           | 16            |
| 8       | आफरकर्ताओं के लिये सामान्य निर्देश                                                                                  | परिशिष्ट 5           | 17            |
| 9       | ऑफरकर्ता द्वारा निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप (राशि रु. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)      | परिशिष्ट 6 एवं 6 (अ) | 18-19         |
| 10      | रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु सहमति/घोषणा पत्र (राशि रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड) | परिशिष्ट 7           | 20            |
| 11      | ऑफरकर्ता का विस्तृत विवरण                                                                                           | परिशिष्ट 8           | 21            |
| 12      | ऑफरकर्ता का बीज उत्पादन के संबंध में घोषणा पत्र                                                                     | परिशिष्ट 9 व 9 अ     | 22-23         |
| 13      | वित्तीय ऑफर का प्रारूप (आन लाईन पोर्टल पर ही प्रस्तुत किया जाना है)                                                 | परिशिष्ट 10          | 24-26         |
| 14      | आफर प्रस्तुत करने के लिये अधिकार पत्र                                                                               | परिशिष्ट 11          | 27            |



# म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : [mpagrohbpl@gmail.com](mailto:mpagrohbpl@gmail.com), Phone No (0755)- 2551968, 2551756

website : [www.mpagro.org](http://www.mpagro.org)

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

रेट कान्ट्रेक्ट आफर में विभिन्न स्थानों पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका तात्पर्य निम्नानुसार है:-

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| निगम                             | दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर भोपाल                                                                                                                                                                              |
| क्रयकर्ता विभाग एवं प्राप्तकर्ता | विभाग जिनके द्वारा सामग्री क्रय के लिये आदेश दिया गया हो तथा प्राप्तकर्ता का अर्थ ऐसे विभागों के जिला/विकासखण्ड स्तर पर कार्यालय                                                                                                                                                |
| आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज           | आवेदन पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र में किया गया है।                                                                                                                                                                              |
| आवेदक/आफरकर्ता                   | उत्पादक जिनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लिया गया हो                                                                                                                                                                                                          |
| नर्सरी धारक                      | जिनकी स्वयं की नर्सरी हो                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रदायक                          | ऐसे आफरकर्ता जिनकी दरें रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत अनुमोदित की गई हो तथा निगम से प्रदाय हेतु आफरकर्ता द्वारा अनुबंध किया गया हो                                                                                                                                            |
| संकल्प धनराशि (ई.एम.डी)          | आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जमा की गई राशि                                                                                                                                                                                                  |
| धरोहर राशि                       | आफरकर्ता की दरों के अनुमोदन एवं निगम के साथ अनुबंध होने की दशा में प्रदायक द्वारा किये गये प्रदाय के विरुद्ध निगम में जमा संकल्प धनराशि (ई एम डी) की राशि के रूप में धरोहर राशि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, तथा अनुबंध अवधि में निगम के पास धरोहर राशि के रूप में जमा रहेगी। |
| विभाग                            | विभाग का आशय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य को शासकीय विभागों से है                                                                                                                                                                       |
| प्रबंध संचालक                    | प्रबंध संचालक से आशय निगम के प्रबंध संचालक से है                                                                                                                                                                                                                                |
| क्षेत्रीय प्रबंधक                | निगम के संभागवार (मध्यप्रदेश) स्तर पर संचालित क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय प्रबंधक                                                                                                                                                                                         |
| जिला प्रबंधक/शाखा प्रबंधक        | निगम के जिला (मध्यप्रदेश) स्तर पर संचालित जिला कार्यालयों के जिला प्रबंधक/शाखा प्रबंधक                                                                                                                                                                                          |



## म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551968, 2551756

website : www.mpagro.org

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

### 1. अस्वीकारणीय (Disclaimer)

यद्यपि इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को तैयार करने में पूर्ण सावधानियां बरती गई है तथापि रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र पूर्ण है, इस बात की संतुष्टी आफरकर्ता स्वयं कर लेवें। रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र की किसी भी नियम/शर्तों के संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति हो तो वह प्री बिड मिटिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व तक ई-मेल के माध्यम से mpagrohobpl@gmail.com पर भेजी जाए। प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर प्रिबिड मिटिंग में समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा तथा लिया गया निर्णय को निगम की वेब साईट पर <http://mpagro.org> पर अपलोड किया जाएगा।

प्रीबिड बैठक के पश्चात् प्राप्त होने वाले सुझाव/आपत्ति को मान्य नहीं किया जाएगा तथा यह माना जाएगा कि रेट कान्ट्रेक्ट आफर की समस्त नियमों एवं शर्तों तथा अपलोड किए गए समिति के निर्णय से सहमत होकर आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किया गया है।

### 2. कार्य के अवसर :

यह निगम किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में स्थित विकासखण्ड में आदान सामग्री का प्रदाय निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से करता है। विभिन्न योजनाओं में लगने वाली आदान सामग्रियों की दर निर्धारित करने हेतु यह रेट कान्ट्रेक्ट आफर आमंत्रित किया गया है।

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत वांछित सामग्रियों का व्यवसाय निगम के माध्यम से संभावित है किन्तु व्यवसाय की मात्रा निर्धारित नहीं है। ऑफरकर्ताओं को प्रदाय आदेश में वर्णित सामग्रियों का प्रदाय, आदेश में उल्लेखित स्थल तक एवं "निर्धारित समय सीमा" में करना आवश्यक होगा।

### 3. आफरकर्ता को निर्देश :

- 3.1 रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) वेबसाईट से डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। आफरकर्ताओं से अनुरोध है कि वे रेट कान्ट्रेक्ट आफर के प्रत्येक पृष्ठ एवं इसमें वर्णित शर्तों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में दिये गये निर्देशानुसार ही ऑफर को वेबसाईट पर अपलोड करें। निगम द्वारा आनलाईन प्राप्त आफर को ही मान्य किया जावेगा। साथ आरसीओ के सभी अनिवार्य दस्तावेजों, जो आरसीओ प्रपत्र में कहीं भी उल्लेखित हैं, को अनिवार्य रूप से स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जाना आवश्यक है।
- 3.2 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में वर्णित प्रपत्रों को 600 डी.पी.आई के रिजोल्यूशन में जे.पी.ई जी अथवा पी. डी.एफ फॉर्मेट में अपलोड करें। यदि अपलोड किये गये प्रपत्र अपठनीय पाये गये तो ऐसे ऑफरकर्ता के प्रस्ताव को मान्य नहीं किया जाएगा।
- 3.3 वेबसाईट से अपलोड किये गये आर.सी.ओ प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए तथा अपलोड किये गये प्रपत्रों की स्कैन कापी को निर्देशानुसार आवेदक को अनुबंध के समय हार्ड कापी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 3.4 सभी ऑफरकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि के पूर्व समस्त आवश्यक कार्यवाहियाँ कर लें जिससे अंतिम तिथि के दिन सर्वर, नेटवर्क आदि की समस्याओं के कारण आर.सी.ओ प्रस्तुत करने से वंचित न हों।
- 3.5 आरसीओ द्वारा निर्धारित दस्तावेज प्रपत्र शुल्क एवं संकल्प धनराशि ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3.6 आरसीओ के वित्तीय प्रपत्र के अनुसार ऑनलाइन दर प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। निर्धारित दिनांक एवं समय तक रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।

3.7 सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट आफर अस्वीकार किये जाएंगे।

3.8 वेण्डर द्वारा एम.पी.एग्रो में पंजीकृत होने के उपरांत विभाग के एम.पी.एफ.एस.टी.एस. पोर्टल पर क्रय आदेश प्राप्ति दिनांक, सामग्री प्रदायगी की दिनांक, देयक प्रस्तुती दिनांक, भुगतान प्राप्ति की दिनांक आदि जानकारी अपलोड की जावेगी।

नोट:— ऐसे ऑफरकर्ताओं के ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे, जिनके साथ निगम का कोई विवाद, वाद न्यायालयीन प्रकरण या अपराधिक प्रकरण लंबित/प्रचलित है।

## 2. आरसीओ प्रस्तुत करने का समय एवं तिथियों का विवरण :

रेट कान्ट्रेक्ट आफर ई टेन्डरिंग पद्धति के माध्यम से आमंत्रित किये गये हैं तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ऑनलाइन रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य GST सहित                                                                                                | राशि रु 5,900.00                                                                                                                                                       |
| आन लाईन निविदा पत्र का क्रय                                                                                                                         | www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 12.12.2024 को अपरान्ह 1.55 बजे तक                                                                    |
| संकल्प धन राशि (EMD)                                                                                                                                | 100000 /— ( एक लाख मात्र )                                                                                                                                             |
| ऑनलाइन निविदा वेबसाईट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय सीमा                                                                                      | दिनांक 12.12.2024 अपरान्ह 2.00 बजे तक                                                                                                                                  |
| प्री-बिड मीटिंग                                                                                                                                     | दिनांक 04.12.2024 अपरान्ह 3.00 बजे<br>एम.पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लि. पंचानन भवन<br>तृतीय तल मालवीय नगर भोपाल में विभागाध्यक्ष (उद्यान) के कक्ष में होगी । |
| आरसीओ में सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि                                                                                                        | दिनांक 04.12.2024 सायं 2.00 बजे                                                                                                                                        |
| प्री-बिड मीटिंग में प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति के निर्णय की जानकारी अपलोड किये जाने की तिथि                                                      | दिनांक 05.11.2024 को अपरान्ह 3.00 बजे तक                                                                                                                               |
| ऑनलाइन तकनीकी निविदा के खोले जाने की निर्धारित तिथि एवं समय (ऑनलाइन अपलोड किये गये दस्तावेज अपठनीय होने की स्थिति में ऑफर को मान्य नहीं किया जाएगा) | दिनांक 12.12.2024<br>अपरान्ह 3.00 बजे तक                                                                                                                               |
| उपयुक्त पाये गये आफर के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाना                                                                                               | सूचना निगम की वेबसाईट www.mpagro.org ,ao<br>www.mptenders.gov.in पर दी जाएगी।                                                                                          |

नोट— उपरोक्त दर्शित समय एवं तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस आशय की सूचना का प्रकाशन निगम की website [www.mpagro.org](http://www.mpagro.org) तथा [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर किया जावेगा। ऑफरकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त आर.सी.ओ. के संदर्भ में वेबसाईट पर समय-समय पर देखकर प्रकाशित होने वाले संशोधनों/सूचनाओं से अवगत हों।



## म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : [mpagrohbpl@gmail.com](mailto:mpagrohbpl@gmail.com), Phone No (0755)- 2551968, 2551756

website : [www.mpagro.org](http://www.mpagro.org)

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

### ऑफर की सामान्य शर्तें

वर्ष 2024-25 एवं आगे की अवधि में आरसीओ के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले सामग्रियों के प्रदाय हेतु निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले ऑफरकर्ताओं से रेट कांट्रेक्ट किये जाने हेतु दरें आमंत्रित की जाती हैं। दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से विकासखण्ड स्तर तक पहुंचाकर लागू रहेंगी।

रेट कांट्रेक्ट ऑफर से संबंधित सामान्य शर्तें निम्नानुसार हैं :-

#### 1. ऑफर प्रस्तुत करने की अर्हता

प्रदाय के लिये ऑफरकर्ता की अर्हताएं परिशिष्ट क्रमांक 3, के अनुसार रहेंगी।

#### 2. आर.सी.ओ प्रपत्र का कय- रेट कांट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र का मूल्य (वापसी योग्य नहीं) व निर्धारित तिथियों का विवरण आरसीओ प्रपत्र में उल्लेखित है तथा निर्धारित राशि का ऑनलाइन भुगतान कर ऑफरकर्ता इस प्रपत्र को वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) से डाउनलोड कर सकेंगे।

#### 3. प्री-बिड मीटिंग- रेट कांट्रेक्ट आफर के अनुसार उल्लेखित तिथि में निगम मुख्यालय में विभागाध्यक्ष (उद्यान) के कक्ष में आयोजित होगी। संभावित निविदाकार रेट कांट्रेक्ट के संबंध में अपनी आपत्तियाँ/सुझाव नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियों/सुझावों का निराकरण/समाधान कर तदनुसार आवश्यकता अनुसार संशोधन प्रपत्र में किये जा सकेंगे जो रेट कांट्रेक्ट प्रपत्र का हिस्सा कहलाएंगे। प्राप्त सभी सुझावों/आपत्तियों के संदर्भ में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा। प्री-बिड मीटिंग के उपरांत रेट कांट्रेक्ट आफर की शर्तों के संबंध में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेगी, अतः यह आवश्यक है कि संभावित ऑफरकर्ता आर.सी.ओ. प्रपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर शर्तों एवं कार्य के स्वरूप से भली-भांति परिचित हो कर आश्वस्त हो लें जिससे बाद में विवाद/संदेह की स्थिति न रहे।

#### 4. ऑफर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(4.1) वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) से डाउनलोड किये गये रेट कांट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित कर ऑफर के साथ अपलोड करते हुए निर्धारित समय एवं तिथि तक ऑनलाइन प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगी।

(4.2) एक ऑफरकर्ता से एक ही ऑफर स्वीकार किया जाएगा।

(4.3) वित्तीय आफर निर्धारित प्रारूप में केवल वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे।

(4.4) सशर्त रेट कांट्रेक्ट- निगम द्वारा रेट कांट्रेक्ट आफर प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं की जावेगी। सशर्त ऑफर को अमान्य किया जावेगा।

(4.5) स्टार्टअप के लिए प्रावधान-

भण्डार क्रय नियमावली 2015 (यथा संशोधित 2022) की धारा संख्या 22 के अनुसार मध्यप्रदेश के स्टार्टअप को अनुभव टर्नओवर जैसी समस्त संबंधित योग्यताओं में छूट दी जायेगी। छूट की पात्रता के समर्थन में ऑनलाइन दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

**(4.6) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला अद्यमियों के लिए प्रावधान—**

भण्डार क्रय नियमावली 2015 (यथा संशोधित 2022) की धारा संख्या 23.1 के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला स्वमित्व वाले अद्यमियों को पात्रता के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

**(4.7) सूक्ष्म और लघु उद्यमों स्टार्टअप के लिए प्रावधान—**

मध्य प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों एवं स्टार्टअप के लिए भण्डार क्रय नियम 2015 ( यथा संशोधित 2022) की कंडिका क्रमांक 14.1 के अनुसार ईएमडी में बूट दी जायेगी। पात्रता के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

**5. दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्त एवं दर वैधता**

- 5.1 ऑफरकर्ता द्वारा प्रदाय हेतु दर **परिशिष्ट** क्रमांक 10 अनुसार दी जाना आवश्यक है।
- 5.2 ऑफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी, वह 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विकासखण्ड स्तर तक एफ.ओ.आर. एवं सभी प्रकार के व्यय/कर सहित होगी।
- 5.3 ऑफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की गयी है वह रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर की शर्त क्रमांक 20 के तहत न्यूनतम होना आवश्यक है।
- 5.4 रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से तीन माह तक लागू रहेंगी। दरों की वैधता को निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, बढ़ाया जा सकता है।
- 5.5 ऑफरकर्ता द्वारा दरें अंकों में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। अंकों एवं शब्दों में अंतर की दशा में दोनों में से न्यूनतम दर को मान्य किया जावेगा।

**6. सैंपल प्रस्तुत किये जाना :**

सेम्पल प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु आवश्यकता पड़ने पर आफरकर्ता की नर्सरी का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा सेम्पल लिये जा सकेगे।

आर सी ओ में वांछित दस्तावेज आनलाईन प्रस्तुत नहीं किये जाने दशा मे आफर अमान्य किया जाएगा।

**7. संकल्प धन राशि (EMD) :**

रेट कान्ट्रेक्ट आफर के साथ संकल्प धन राशि रु. 1,00,000.00 ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संकल्प धनराशि के अभाव में प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर को मान्य नहीं किया जायेगा। पूर्व में निगम में जमा संकल्प धनराशि/धरोहर राशि को इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत मान्य/समायोजित नहीं किया जाएगा।

**8. संकल्प धनराशि को जप्त किया जाना**

संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-

1. निगम द्वारा आफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
2. ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. आफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।
4. निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

9. **धरोहर राशि :**

- (9.1) आफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि आफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी।
- (9.2) अनुबंध की प्रभावशीलता अवधि समाप्त होने के बाद कोई विवाद न होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।
- (9.3) धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-
- (1) निगम आदेश के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाने पर ।
  - (2) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने की दशा में
  - (3) आफरकर्ता द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो ।
  - (4) निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

10. **ऑफर की वैधता :**

प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 90 दिवस तक मान्य रहेंगे। अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया गया हो ।

11. **रेट कान्ट्रेक्ट आफर का खोला जाना**

1. नियत तिथी तक प्राप्त ऑनलाइन ऑफर के तकनीकी प्रस्ताव निगम उपर्युक्त वर्णित (परिशिष्ट क्रं. 1) तिथि एवं समय पर खोले जावेंगे।
2. आफर के खोले जाने की तिथि में परिवर्तन होने की दशा में निगम द्वारा इसकी सूचना का प्रकाशन निगम की वेबसाइट पर किया जावेगा।
3. परीक्षणोपरांत योग्य पाये गये आफर्स के वित्तीय प्रस्तावों को खोलने की दिनांक निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
4. ऑफरकर्ताओं के अथवा उनके प्रतिनिधि आफर खोले जाते समय नियत स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं।
5. रेट कान्ट्रेक्ट आफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाइट पर दी जाएगी।

12. **अनुबंध का निष्पादन—**

- (12.1) जिन ऑफरकर्ता(ओं) की दरों को स्वीकार किया गया है अथवा जिन ऑफरकर्ताओं द्वारा प्रतिप्रस्तावित दर को मान्य किया गया है, को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क. 6 एवं 6 (अ)) के अनुसार राशि रुपये 1000/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित एवं नोटराइज कर कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य है।
- (12.2) आफरकर्ता(ओं) जिनके द्वारा प्रस्तुत दरों को निगम द्वारा स्वीकार किया गया है । ऐसे ऑफरकर्ताओं द्वारा अधिकतम 07 दिवस में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित कर कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा ऐसे ऑफरकर्ताओं की जमा संकल्प धनराशि को निगम जप्त कर सकेगा।

- (12.3) रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर के तहत अनुमोदित दरें दर सूची जारी होने से तीन माह तक लागू रहेंगी। दरों की वैधता को निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक, बढ़ाया जा सकता है।
- (12.4) निगम से अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात ऑफरकर्ता को प्रदायक कहा जायेगा।
- (12.5) अनुबंध के समय समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ ऑफरकर्ता उपस्थित होंगे।

### 13. दरें स्वीकार की जाना :

- 13.1 सामान्यतः आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में प्राप्त न्यूनतम दर को स्वीकार किया जाएगा।
- 13.2 प्राप्त दरों पर साधारणतः किसी भी प्रकार की दर चर्चा नहीं की जाएगी अतः ऑफरकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे अपनी न्यूनतम दर दें। निगम के प्रबंध संचालक को यह अधिकार होगा कि वे निगम स्तर पर निर्धारित दर का प्रति प्रस्ताव ऑफरकर्ता को दें। प्रतिप्रस्ताव मान्य किये जाने की दशा में ऑफरकर्ता द्वारा निगम को सूचित करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 13.3 निगम के प्रबंध संचालक को अधिकार होगा कि वे प्राप्त न्यूनतम दर से अधिकतम 15 प्रतिशत की सीमा में दर आफर करने वाले योग्य पाये गये ऑफरकर्ताओं को निर्धारित दरों का प्रतिप्रस्ताव दें। प्रतिप्रस्ताव मान्य किये जाने की दशा में ऑफरकर्ता द्वारा निगम को सूचित करते हुए निर्धारित समयावधि में अनुबंध प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

### 14. प्रदाय की प्रक्रिया –

- (14.1) परिशिष्ट क्रं.-4 में वर्णित अधिकारी द्वारा प्रदाय आदेश जारी किये जाएंगे। प्रदाय आदेश में वर्णित निर्धारित अवधि में तथा आदेशित मात्रा के अनुसार निर्धारित मापदण्ड की सामग्री का प्रदाय, प्रदायक द्वारा किया जाना आवश्यक है।
- (14.2) वांछित मात्रा में पैकिंग का कार्य क्रेता विभाग/संचालनालय उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (14.3) सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उपयोगकर्ता अर्थात् अंतिम उपभोक्ता को हुये नुकसान की नियमानुसार भरपाई भी प्रदायक द्वारा की जावेगी।

15. बिना आदेश के कोई भी सामग्री का प्रदाय मान्य नहीं किया जाएगा तथा प्रदायक यदि ऐसा करता है तो ऐसे प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी तथा ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नहीं होगा।

### 16. सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया, समय सीमा एवं शास्ति (पेनाल्टी)

- (16.1) प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। प्रदायक द्वारा उचित कारण बताये जाने पर यह समय-सीमा घटाई भी जा सकती है।
- (16.2) आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी।
- (16.3) प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी।

| कं | सप्ताह                                               | शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक                           | 0.25% प्रति सप्ताह                                                                                                                                                                                       |
| 2  | तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक                            | 0.50% प्रति सप्ताह                                                                                                                                                                                       |
| 3  | प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में | प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए अनुबंध को निरस्त किये जाने एवं निगम के माध्यम से आगामी 1 से 5 वर्षों तक व्यवसाय हेतु प्रतिबंधित किया जा सकता है, प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम और बंधनकारी रहेगा। |

#### 17. आदेश की प्रक्रिया :

- (17.1) विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर आदेश मुख्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।
- (17.2) सामग्री की प्रदायगी निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से की जाना आवश्यक होगी। सामग्री का प्रदाय प्रदायक द्वारा सीधे विभाग को नहीं किया जाएगा।
- (17.3) निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में क्रेता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो उसकी विधिवत सूचना प्रदायक को दी जावेगी तथा प्रदायक द्वारा परिवर्तित आदेश/सूचना के अनुसार आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नहीं किया जावेगा। निगम द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर सामग्री गंतव्य स्थल पर पहुँचानी होगी।
- (17.4) परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी।

#### 18. कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :

आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड, पैकिंग, संख्या, मात्रा एवं समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :-

- (18.1) उचित/निर्धारित पैकिंग न होने की दशा में।
- (18.2) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में। यदि उक्त कारणों के आधार पर कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो इसकी सूचना प्रदायक को निगम द्वारा पत्र/दूरभाष/ई मेल के माध्यम से दी जाएगी तथा प्रदायक को स्वयं के व्यय पर निर्धारित समय सीमा में वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।

#### 19. भुगतान :

निगम द्वारा "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार निगम मुख्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने की दशा में मुख्यालय / निगम के संबंधित जिला कार्यालयों से निम्न प्रकार से प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :-

- (19.1) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार क्रेता विभाग से पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त) के आधार पर प्राप्त होने एवं देयक की पूर्ण राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 7 दिवस में किया जावेगा।
- (19.2) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया संतुष्टि प्रमाण पत्र (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों की संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त) प्राप्त होने पर किया जावेगा।

- (19.3) यदि संबंधित विभाग द्वारा 180 दिवस की समय सीमा में संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है व प्रदायित सामग्री के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है व निगम को पूर्ण राशि भी प्राप्त हो चुकी हो तो निगम संबंधित विभाग को सूचित करते हुये शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित प्रदायक को कर सकेगा।
20. प्रदायक द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की है वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपक्रम को प्रदाय किये जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेगा।
  21. आफरकर्ता/प्रदायक द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को पूर्णतः एवं भली-भांति पढ़ लिया गया है एवं वे सभी शर्तों पर सहमत है।
  22. रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पाये जाने की दशा में अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/दस्तावेज दिए जाने की दशा में प्रबंध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/निगम द्वारा स्वीकृत आफर को निरस्त करने एवं आफरकर्ता द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि को जप्त करने के अधिकारी होंगे। साथ ही संबंधित प्रदायक को निगम के माध्यम से 1 से 5 वर्षों तक के लिये प्रदायगी से वंचित भी किया जा सकता है। इस संबंध में प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
  23. प्रदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रदायक द्वारा नियमानुसार समय-सीमा में कार्यवाही की जाना होगी।
  24. यदि आवश्यक हुआ तो निगम द्वारा नामांकित अधिकारी किसी भी कार्य-दिवस में आफरकर्ता के प्रतिष्ठान/उत्पादन स्थल/गोडाउन/नर्सरी का निरीक्षण कर सकेगा।
  25. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के विभागाध्यक्ष (उद्यान) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबंध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा। आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण भोपाल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
  26. यदि न्यायालयीन आदेश से निगम के प्रबंध संचालक के अतिरिक्त किसी अन्य को आरबीट्रेटर नियुक्त किया जाता है तो ऐसे नियुक्त आरबीट्रेटर की समस्त फीस ऑफरकर्ता/प्रदायकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।
  27. निगम के प्रबंध संचालक को रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अनुबंध निष्पादन के पूर्व एवं पश्चात् अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

**प्रबंधक (उद्यान)**

**संकर— सत्यरूप (टी.एल.) बीज** उत्पादक की तकनीकी योग्यता के दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है :-

| क्रं. | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|----|-------|-----|----|------|-----|----|------------------|-----|----|--------|-----|----|-------|-----|----|---------------|-----|----|------|-----|----|-------|-----|----|--------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 1     | संकर बीज हेतु भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिकी एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी आर एन्ड डी मान्यता प्रमाणपत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 2     | कृषि विश्वविद्यालय जिनके द्वारा हायब्रिड किस्म (आफरकर्ता द्वारा यदि आफर की गई है) को उत्पादित किया गया है, के द्वारा जारी पेरेंटल लाईन एवं जेनेटिक प्यूरिटी के संबंध में पत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 3     | आफर किये गये हायब्रिड बीज की वेराईटल कैरेक्टरस्टिक के लिये उत्पादक द्वारा जारी विस्तृत विवरण पत्र स्वप्रमाणित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 4     | <p>अ. बीज अधिनियम 1966 के अनुसार बीज का अंकुरण निम्नानुसार होना अनिवार्य है :-</p> <table><tr><th>क्रं.</th><th>बीज का नाम</th><th>न्यूनतम अंकुरण (प्रतिशत में)</th></tr><tr><td>1.</td><td>धनिया</td><td>65%</td></tr><tr><td>2.</td><td>मैथी</td><td>70%</td></tr><tr><td>3.</td><td>जीरा, स्हाय जीरा</td><td>65%</td></tr><tr><td>4.</td><td>अजवाइन</td><td>70%</td></tr><tr><td>5.</td><td>मिर्च</td><td>60%</td></tr><tr><td>6.</td><td>पार्शले अजमोद</td><td>65%</td></tr><tr><td>7.</td><td>सौंफ</td><td>65%</td></tr><tr><td>8.</td><td>लहसुन</td><td>70%</td></tr><tr><td>9.</td><td>प्याज,</td><td>70%</td></tr><tr><td>10.</td><td>हल्दी</td><td>80%</td></tr><tr><td>11.</td><td>सुआ</td><td>65%</td></tr><tr><td>12.</td><td>अदरक</td><td>80%</td></tr></table> <p>ब. उत्पादक द्वारा तालिका में बीज के नाम के सम्मुख वर्णित न्यूनतम अंकुरण क्षमता का घोषण पत्र (declaration) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, जिसमें न्यूनतम अंकुरण क्षमता बीज अधिनियम 1966 के अनुसार होकर, न्यूनतम क्षमता से कम न हो।</p> | क्रं.                        | बीज का नाम | न्यूनतम अंकुरण (प्रतिशत में) | 1. | धनिया | 65% | 2. | मैथी | 70% | 3. | जीरा, स्हाय जीरा | 65% | 4. | अजवाइन | 70% | 5. | मिर्च | 60% | 6. | पार्शले अजमोद | 65% | 7. | सौंफ | 65% | 8. | लहसुन | 70% | 9. | प्याज, | 70% | 10. | हल्दी | 80% | 11. | सुआ | 65% | 12. | अदरक | 80% |
| क्रं. | बीज का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | न्यूनतम अंकुरण (प्रतिशत में) |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 1.    | धनिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 2.    | मैथी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 3.    | जीरा, स्हाय जीरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 4.    | अजवाइन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 5.    | मिर्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 6.    | पार्शले अजमोद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 7.    | सौंफ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 8.    | लहसुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 9.    | प्याज,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 10.   | हल्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 11.   | सुआ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 12.   | अदरक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 5     | राशि रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियम स्टॉम्प पेपर पर ऑफरकर्ता के बीज उत्पादन के संबंध में घोषणा पत्र— <b>परिशिष्ट 7</b> एवं ऑफरकर्ता का बीज उत्पादन के संबंध में घोषणा पत्र 9 व 9 (अ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 6     | मध्यप्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा जारी बीज विक्रय का वैध लायसेंस (बीज अधिनियम 1966/बीज नियम 1968/बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत) जिसमें उत्पादक का नाम अंकित हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 7     | आफर किये गये हायब्रिड बीज <u>अथवा आयातित बीज</u> की किस्में मध्यप्रदेश के लिये अनुकूल है के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/अन्य राज्यों /केन्द्र शासन के संस्थानों/म.प्र. स्थित कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 8     | बीजों को आयात करने की दशा में इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट लायसेन्स एवं फाइटोसेनेटरी प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |

**रिसर्च सत्यरूप (TL) बीज हेतु** उत्पादक की तकनीकी योग्यता के दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है :-

| क्रं. | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|----|-------|-----|----|------|-----|----|------------------|-----|----|--------|-----|----|-------|-----|----|---------------|-----|----|------|-----|----|-------|-----|----|--------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 1     | संकर बीज हेतु भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिकी एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी आर एन्ड डी मान्यता प्रमाणपत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 2     | कृषि विश्वविद्यालय जिनके द्वारा रिसर्च सत्यरूप (TL) बीज किस्म (आफरकर्ता द्वारा यदि आफर की गई है) को उत्पादित किया गया है, के द्वारा जारी पेरेंटल लाईन एवं जेनेटिक प्यूरिटी के संबंध में पत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 3     | आफर किये गये हायब्रिड बीज की वेराईटल केरेक्टरस्टिक के लिये उत्पादक द्वारा जारी विस्तृत विवरण पत्र स्वप्रमाणित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 4     | <p>अ. बीज अधिनियम 1966 के अनुसार बीज का अंकुरण निम्नानुसार होना अनिवार्य है :-</p> <table><tr><th>क्रं.</th><th>बीज का नाम</th><th>न्यूनतम अंकुरण (प्रतिशत में)</th></tr><tr><td>1.</td><td>धनिया</td><td>65%</td></tr><tr><td>2.</td><td>मैथी</td><td>70%</td></tr><tr><td>3.</td><td>जीरा, स्थाय जीरा</td><td>65%</td></tr><tr><td>4.</td><td>अजवाइन</td><td>70%</td></tr><tr><td>5.</td><td>मिर्च</td><td>60%</td></tr><tr><td>6.</td><td>पार्शले अजमोद</td><td>65%</td></tr><tr><td>7.</td><td>सौंफ</td><td>65%</td></tr><tr><td>8.</td><td>लहसुन</td><td>70%</td></tr><tr><td>9.</td><td>प्याज,</td><td>70%</td></tr><tr><td>10.</td><td>हल्दी</td><td>80%</td></tr><tr><td>11.</td><td>सुआ</td><td>65%</td></tr><tr><td>12.</td><td>अदरक</td><td>80%</td></tr></table> <p>ब. उत्पादक द्वारा तालिका में बीज के नाम के सम्मुख वर्णित न्यूनतम अंकुरण क्षमता का घोषण पत्र (declaration) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, जिसमें न्यूनतम अंकुरण क्षमता बीज अधिनियम 1966 के अनुसार होकर, न्यूनतम क्षमता से कम न हो।</p> | क्रं.                        | बीज का नाम | न्यूनतम अंकुरण (प्रतिशत में) | 1. | धनिया | 65% | 2. | मैथी | 70% | 3. | जीरा, स्थाय जीरा | 65% | 4. | अजवाइन | 70% | 5. | मिर्च | 60% | 6. | पार्शले अजमोद | 65% | 7. | सौंफ | 65% | 8. | लहसुन | 70% | 9. | प्याज, | 70% | 10. | हल्दी | 80% | 11. | सुआ | 65% | 12. | अदरक | 80% |
| क्रं. | बीज का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | न्यूनतम अंकुरण (प्रतिशत में) |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 1.    | धनिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 2.    | मैथी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 3.    | जीरा, स्थाय जीरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 4.    | अजवाइन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 5.    | मिर्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 6.    | पार्शले अजमोद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 7.    | सौंफ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 8.    | लहसुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 9.    | प्याज,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 10.   | हल्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 11.   | सुआ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 12.   | अदरक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 5     | राशि रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियम स्टॉम्प पेपर पर ऑफरकर्ता के बीज उत्पादन के संबंध में घोषणा पत्र— परिशिष्ट 7 एवं ऑफरकर्ता का बीज उत्पादन के संबंध में घोषणा पत्र 9 व 9 (अ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 6     | मध्यप्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा जारी बीज विक्रय का वैध लायसेंस (बीज अधिनियम 1966/बीज नियम 1968/बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत) जिसमें उत्पादक का नाम अंकित हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 7     | आफर किये गये संकर /रिसर्च बीज अथवा आयातित बीज की किस्में मध्यप्रदेश के लिये अनुकूल है के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/अन्य राज्यों /केन्द्र शासन के संस्थानों/म.प्र. स्थित कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी ट्रायल रिपोर्ट व प्रमाण पत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |
| 8     | बीजों को आयात करने की दशा में इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट लायसेन्स एवं फाइटोसेनेटरी प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |       |     |     |     |     |     |      |     |

**प्रमाणित बीज हेतु** उत्पादक की तकनीकी योग्यता के दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है :-

| क्रं. | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |     |     |     |      |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|----|-------|-----|----|------|-----|----|------------------|-----|----|--------|-----|----|-------|-----|----|---------------|-----|----|------|-----|----|-------|-----|----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 1     | बीज उत्पादक का केन्द्र/राज्य शासन के किसी बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन होना अनिवार्य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |     |     |     |      |     |
| 2     | <p>बीज उत्पादक का बीज अधिनियम 1966 की धारा 9 (3 के अंतर्गत) के अंतर्गत केन्द्र/राज्य शासन के किसी बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित बीज का अंतिम बीज प्रमाण पत्र जो कि अद्यतन खरीफ, रबी एवं ग्रीष्म सीज़न की बुवाई के लिए वैध हो का अंतिम बीज प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। पुनः वैध्यतीकरण को स्वीकार किये जायेंगे ।</p> <p>(नोट— वही ऑफरकर्ता रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग ले सकेंगे जिनके द्वारा स्वयं की पंजीकृत उत्पादक संस्था के नाम से प्रमाणित बीजों के उत्पादन का कार्यक्रम लिया गया है तथा बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी अंतिम बीज प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा अंतिम बीज प्रमाण में अंकित मात्रा की सीमा में निगम को बीज प्रदाय करने के लिए सहमत हो)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |     |     |     |      |     |
| 3     | मध्यप्रदेश शासन के संबंधित अधिकृत विभाग द्वारा जारी बीज विक्रय का वैध लायसेंस (बीज अधिनियम 1966/बीज नियम 1968/बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत) जिसमें उत्पादक का नाम अंकित हो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |     |     |     |      |     |
| 4     | <p>अ. बीज अधिनियम 1966 के अनुसार बीज का अंकुरण निम्नानुसार होना अनिवार्य है :-</p> <table><tr><th>क्रं.</th><th>बीज का नाम</th><th>न्यूनतम अंकुरण (प्रतिशत में)</th></tr><tr><td>1.</td><td>धनिया</td><td>65%</td></tr><tr><td>2.</td><td>मैथी</td><td>70%</td></tr><tr><td>3.</td><td>जीरा, स्थाय जीरा</td><td>65%</td></tr><tr><td>4.</td><td>अजवाइन</td><td>70%</td></tr><tr><td>5.</td><td>मिर्च</td><td>60%</td></tr><tr><td>6.</td><td>पार्शले अजमोद</td><td>65%</td></tr><tr><td>7.</td><td>सौंफ</td><td>65%</td></tr><tr><td>8.</td><td>लहसुन</td><td>70%</td></tr><tr><td>9.</td><td>प्याज,</td><td>70%</td></tr><tr><td>10.</td><td>सुआ</td><td>65%</td></tr><tr><td>11.</td><td>अदरक</td><td>80%</td></tr></table> <p>ब. उत्पादक द्वारा तालिका में बीज के नाम के सम्मुख वर्णित न्यूनतम अंकुरण क्षमता का घोषण पत्र (declaration) प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, जिसमें न्यूनतम अंकुरण क्षमता बीज अधिनियम 1966 के अनुसार होकर, न्यूनतम क्षमता से कम न हो।</p> | क्रं.                        | बीज का नाम | न्यूनतम अंकुरण (प्रतिशत में) | 1. | धनिया | 65% | 2. | मैथी | 70% | 3. | जीरा, स्थाय जीरा | 65% | 4. | अजवाइन | 70% | 5. | मिर्च | 60% | 6. | पार्शले अजमोद | 65% | 7. | सौंफ | 65% | 8. | लहसुन | 70% | 9. | प्याज, | 70% | 10. | सुआ | 65% | 11. | अदरक | 80% |
| क्रं. | बीज का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | न्यूनतम अंकुरण (प्रतिशत में) |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |     |     |     |      |     |
| 1.    | धनिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |     |     |     |      |     |
| 2.    | मैथी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |     |     |     |      |     |
| 3.    | जीरा, स्थाय जीरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |     |     |     |      |     |
| 4.    | अजवाइन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |     |     |     |      |     |
| 5.    | मिर्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |     |     |     |      |     |
| 6.    | पार्शले अजमोद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |     |     |     |      |     |
| 7.    | सौंफ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |     |     |     |      |     |
| 8.    | लहसुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |     |     |     |      |     |
| 9.    | प्याज,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |     |     |     |      |     |
| 10.   | सुआ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |     |     |     |      |     |
| 11.   | अदरक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80%                          |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |     |     |     |      |     |
| 5     | राशि रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियम स्टॉम्प पेपर पर ऑफरकर्ता के बीज उत्पादन के संबंध में घोषणा पत्र— <b>परिशिष्ट 7</b> एवं ऑफरकर्ता का बीज उत्पादन के संबंध में घोषणा पत्र 9 व 9 (अ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |            |                              |    |       |     |    |      |     |    |                  |     |    |        |     |    |       |     |    |               |     |    |      |     |    |       |     |    |        |     |     |     |     |     |      |     |

तकनीकी योग्यता के दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है :-

| क्र. | विवरण                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ऑफरकर्ता फर्म का आयकर नं. PAN होना आवश्यक है।                                                                                                                             |
| 2    | विक्रय कर विभाग द्वारा जारी G.S.T.N. Certificate जमा करना आवश्यक है।                                                                                                      |
| 3    | आफरकर्ता द्वारा अनुसार राशि रु 500/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग परिशिष्ट 7 के अनुसार                                                                   |
| 4    | डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत मुद्रा अंकित कर आफरकर्ता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित आर.सी.ओ. प्रपत्र अपलोड किया जाना है। |
| 5    | रेटकान्ट्रैक्ट आफर में भाग लिये जाने हेतु व अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के संबंध में आफरकर्ता कंपनी का इस संबंध परिशिष्ट 11 के अनुसार अधिकार पत्र।                              |
| 6    | सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला स्वमित्व वाले अद्यमियों को पात्रता के समर्थन में ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।               |
| 7    | आवेदन पत्र <b>परिशिष्ट 8</b>                                                                                                                                              |
| 8    | प्राईस लिस्ट जिसमें एम.आर.पी., डीलर प्राईस लिस्ट एवं प्रदाय की शर्तों का उल्लेख हो की स्व-प्रमाणित प्रति                                                                  |
| 9    | अर्हता के संबंध में परिशिष्ट क्रं 3 अ, ब, स जो भी लागू हो के उल्लेखानुसार समस्त दस्तावेज                                                                                  |
| 10   | परिशिष्ट 9 एवं 9 अ के अनुसार घोषणा पत्र।                                                                                                                                  |

### आफरकर्ताओं के लिये सामान्य निर्देश

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) वेबसाईट से डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाना एवं सील लगायी जाना आवश्यक है।
2. आरसीओ की शर्तों के अनुसार स्व-प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाना आवश्यक है।
3. अर्हता संबंधी शर्त तथा कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार वांछित जानकारी प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
4. रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तों के अनुसार के अनुसार संकल्प धनराशि जमा की जाना आवश्यक है।
5. **परिशिष्ट 8 में दर प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।**
6. निर्धारित समय सीमा में रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।
7. सशर्त रेट कान्ट्रेक्ट आफर अस्वीकार किये जाएंगे।

## :: अनुबंध ::

(निगम द्वारा ऑफर मान्य करने की दशा में सूचित किए जाने पर राशि रु. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज करवाकर प्रस्तुत किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक ..... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे "निगम" कहा जावेगा एवं मेसर्स ..... की ओर से श्री ..... जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगी के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रमाणित / सत्यरूप सब्जी बीज प्रदाय हेतु दिनांक ..... को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) कय करते हुए आर.सी.ओ. की सभी शर्तों को मान्य करते हुए आर.सी.ओ. में भाग लिया गया है । आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट्स अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा प्रदायक की जिन बीजों हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण आरसीओ में वर्णित है और आरसीओ की निर्धारित शर्तों अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होंगे । शर्तों एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से आर सी ओ डाक्यूमेंट अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट में उल्लेखित सभी शर्तें ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक .....
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर व अन्य जानकारीयां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्तें अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| हस्ताक्षर प्रदायक | हस्ताक्षर प्रबंधक (उद्यान) |
|-------------------|----------------------------|

गवाह :

- 1.
- 2.

:: अनुबंध का परिशिष्ट ::

प्रदायक का नाम एवं पता .....

.....

फोन नम्बर .....

फैक्स नम्बर .....

मोबाईल नं. ....

| क्र० | बीज | बीज का नाम एवं प्रजाति | प्रदाय दर रुपये प्रति किलो सभी कर एवं 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ. आर.विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर |            |
|------|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      |     |                        | अंकों में                                                                                              | शब्दों में |
|      |     |                        |                                                                                                        |            |
|      |     |                        |                                                                                                        |            |

प्रदायक के हस्ताक्षर एवं सील

रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु बाबत सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र

मैं .....मेसर्स .....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । मेसर्स .....द्वारा जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति संलग्न है। निगम के रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ..... के बीजों के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है। हम रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तों से सहमत हैं एवं तदनुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे। यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तों का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रुपये ...../— एवं हमारे बिलों से कर सकता है।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रुपये ...../— प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में मैं धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदनुसार सभी शर्तों पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

आफरकर्ता के हस्ताक्षर  
एवं सील

गवाह

..... (हस्ताक्षर)

.....

नाम एवं पता

(रुपये 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराइज्ड कराकर प्रस्तुत करना है)



## म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : mpagrohbpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551968, 2551756

website : www.mpagro.org

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

परिशिष्ट 8

### DETAILS OF THE OFFERER

|    |                                                                                                                                                                                   |                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Name of Individual Offerer State Private or Public Limited / Co-operative Institution.                                                                                            | -----<br>-----                          |
| 2  | Complete Postal address of the individual Offerer including name of Principal Officer/ Person / Chairman/ Managing Director                                                       | -----                                   |
| 3  | Contact No.                                                                                                                                                                       | Office :<br>Mobile :<br>E mail _____    |
| 4  | Particular of the Registration certificate issued                                                                                                                                 | Registration No.<br>Date_____           |
| 5  | GST Registration number.                                                                                                                                                          |                                         |
| 6  | Name/Names of Proprietors/ Partners/ Directors including full address (enclose partnership deed/ Memorandum & Articles of Association/ Society Registration (as the case may be). |                                         |
| 7  | Name and address of Bankers along with bank account no of offerer                                                                                                                 | Bank Name -<br>IFSC Code -<br>A/c. No - |
| 8  | State whether Producer / Distributor / Dealer.                                                                                                                                    |                                         |
| 9  | Whether Debarred or penalized by any Central/State govt. organization at any time<br>If the reply is yes, when & why give proper details (use separate sheet, if required).       | Yes / No.                               |
| 10 | Have you ever supplied any item to this Corporation, If yes, give details of item and year of supply.                                                                             | -----                                   |
| 11 | Do you have any associate company(s)?                                                                                                                                             | -----                                   |
| 12 | Do your Directors / Partners have interest in some other Offerer/ Society. If yes, give details.                                                                                  | -----                                   |
| 13 | Is any of your relative working or serving in this Corporation in any capacity?                                                                                                   | -----                                   |
| 14 | Are you having any branch office? If yes, please give details of address, Telephone No. Fax No. etc.                                                                              | -----                                   |
| 15 | Surety Money (S.M.D.) for registration                                                                                                                                            | Amount :<br>DD No. :<br>Date :          |

Signature of Offerer

## ऑफरकर्ता का बीज उत्पादन के संबंध में घोषणा पत्र

अ. यह कि हमारी उत्पादक संस्था ..... द्वारा जिला....., विकासखण्ड ..... स्थित ग्राम/शहर ..... में स्वयं की भूमि जिसका खसरा क्रमांक..... है, में ..... एकड़/हैक्टेयर में बीज ..... का उत्पादन कार्यक्रम लिया गया है। खरीफ/रबी सीजन में प्रत्येक उपज में लगभग ..... किंटल उत्पादन किया गया है। उक्त उत्पादित बीज की न्यूनतम अंकुरण क्षमता बीज अधिनियम 1966 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम अंकुरण क्षमता से कम नहीं है। यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं भविष्य में यदि यह जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध आरसीओ की शर्तों के अनुसार कार्यवाही कि जाए।

### अथवा

ब. यह कि मेरे संलग्न सूची अनुसार कृषकों से साझेदारी अनुबंध कर लगभग ..... एकड़/हैक्टेयर में बीज ..... का उत्पादन कार्यक्रम लिया गया है। खरीफ/रबी सीजन में प्रत्येक उपज में लगभग ..... किंटल उत्पादन हुआ है। हमारी संस्था द्वारा संलग्न सूची अनुसार सभी कृषकों से बीज..... मात्रा..... का क्रय किया जा रहा है। उक्त उत्पादित बीज की न्यूनतम अंकुरण क्षमता बीज अधिनियम 1966 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम अंकुरण क्षमता से कम नहीं है।

नोट— उत्पादक द्वारा अ एवं ब में जो भी लागू हो, वह राशि रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियम स्टॉम्प पेपर भरकर प्रस्तुत करें।

| क्रं. | कृषक का नाम | ग्राम | विकासखण्ड | जिला | खसरा क्रमांक | कुल रकबा | बीज का नाम जिसका उत्पादन किया जा रहा है | बीज की मात्रा (क्विंटल ) |
|-------|-------------|-------|-----------|------|--------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 1.    |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 2.    |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 3.    |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 4.    |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 5.    |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 6.    |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 7.    |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 8.    |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 9.    |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 10.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 11.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 12.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 13.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 14.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 15.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 16.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 17.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 18.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 19.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 20.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 21.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 22.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 23.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 24.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 25.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 26.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |
| 27.   |             |       |           |      |              |          |                                         |                          |

आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग किया जावे।

**वित्तीय आफर (FANANCIAL OFFER)**

01. NAME OF THE OFFERER .....

**संकर- सत्यरूप (टी.एल.) बीज PRICE SCHEDULE (FINANCIAL BID)**

| Sl. No. | Item Description   | VERIFY To br Filled By Offere | Quantit y | Unit | BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in Rs. Per Kg | GST AMT. | TOTAL AMOUNT Without Taxes in Rs. Per Kg | TOTAL AMOUNT With Taxes | TOTAL AMOUNT In Words |
|---------|--------------------|-------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1       | 2                  | 3                             | 4         | 5    | 6                                                               | 7        | 8                                        | 9                       | 10                    |
| 1       | Hybrid Seed        |                               |           |      |                                                                 |          |                                          |                         |                       |
| 1.01    | FENUGREEK (methi)  |                               | 1.000     | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.02    | Cumin ( Jeera )    |                               | 1.000     | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.03    | Fennel ( Souaf )   |                               | 1.000     | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.04    | Celery (Ajwayan)   |                               | 1.000     | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.05    | Kalonji            |                               | 1.000     | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.06    | Parseley ( Ajmodh) |                               | 1.000     | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.07    | Shah Jira          |                               | 1.000     | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.08    | Bilayti Sonf       |                               | 1.00      | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.09    | Onion              |                               | 1.00      | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.10    | Suwa (Indial Dill) |                               |           |      |                                                                 |          |                                          |                         |                       |
| 1.11    | Ginger             |                               | 1.00      | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |

**वित्तीय आफर**

**परिशिष्ट कमांक 10** के दिये गये प्रारूप में वित्तीय आफर अलग से वेबसाईट पर ही अपलोड किए जाना है तथा इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं की जाना है ।

**वित्तीय आफर (FANANCIAL OFFER)****01. NAME OF THE OFFERE -----****रिसर्च सत्यरूप (TL)बीज हेतु PRICE SCHEDULE (FINANCIAL BID)**

| Sl. No. | Item Description   | VERIFY To br Filled By Offere | Quantit y | Unit | BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in Rs. Per Kg | GST AMT. | TOTAL AMOUNT Without Taxes in Rs. Per Kg | TOTAL AMOUNT With Taxes | TOTAL AMOUNT In Words |
|---------|--------------------|-------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1       | 2                  | 3                             | 4         | 5    | 6                                                               | 7        | 8                                        | 9                       | 10                    |
| 1.01    | FENUGREEK (methi)  |                               | 1.000     | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.02    | Cumin ( Jeera )    |                               | 1.000     | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.03    | Fennel ( Souaf )   |                               | 1.000     | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.04    | Celery (Ajwayan)   |                               | 1.000     | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.05    | Kalonji            |                               | 1.000     | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.06    | Parseley ( Ajmodh) |                               | 1.000     | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.07    | Shah Jira          |                               | 1.000     | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.08    | Bilayti Sonf       |                               | 1.00      | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.09    | Onion              |                               | 1.00      | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |
| 1.10    | Suwa (Indial Dill) |                               |           |      |                                                                 |          |                                          |                         |                       |
| 1.11    | Ginger             |                               | 1.00      | KG   |                                                                 |          | 0.00                                     | 0.00                    | INRZero Only          |

**वित्तीय आफर**

परिशिष्ट कमांक 8 के दिये गये प्रारूप में वित्तीय आफर अलग से वेबसाइट पर ही अपलोड किए जाना है तथा इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं की जाना है ।

**वित्तीय आफर (FANANCIAL OFFER)****01. NAME OF THE OFFERE -----****प्रमाणित बीज हेतु PRICE SCHEDULE (FINANCIAL BID)**

| Sl. No. | Item Description      | VERIFY To<br>br Filled<br>By Offere | Quantit<br>y | Unit | BASIC<br>RATE In<br>Figures To<br>be entered<br>by the<br>Bidder in<br>Rs. Per Kg | GST<br>AMT. | TOTAL<br>AMOUNT<br>Without<br>Taxes in<br>Rs. Per Kg | TOTAL<br>AMOUNT<br>With<br>Taxes | TOTAL<br>AMOUNT<br>In Words |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1       | 2                     | 3                                   | 4            | 5    | 6                                                                                 | 7           | 8                                                    | 9                                | 10                          |
| 1.01    | FENUGREEK<br>(methi)  |                                     | 1.000        | KG   |                                                                                   |             | 0.00                                                 | 0.00                             | INRZero<br>Only             |
| 1.02    | Cumin ( Jeera )       |                                     | 1.000        | KG   |                                                                                   |             | 0.00                                                 | 0.00                             | INRZero<br>Only             |
| 1.03    | Fennel ( Souaf )      |                                     | 1.000        | KG   |                                                                                   |             | 0.00                                                 | 0.00                             | INRZero<br>Only             |
| 1.04    | Celery<br>(Ajwayan)   |                                     | 1.000        | KG   |                                                                                   |             | 0.00                                                 | 0.00                             | INRZero<br>Only             |
| 1.05    | Kalonji               |                                     | 1.000        | KG   |                                                                                   |             | 0.00                                                 | 0.00                             | INRZero<br>Only             |
| 1.06    | Parseley ( Ajmodh)    |                                     | 1.000        | KG   |                                                                                   |             | 0.00                                                 | 0.00                             | INRZero<br>Only             |
| 1.07    | Shah Jira             |                                     | 1.000        | KG   |                                                                                   |             | 0.00                                                 | 0.00                             | INRZero<br>Only             |
| 1.08    | Bilayti Sonf          |                                     | 1.00         | KG   |                                                                                   |             | 0.00                                                 | 0.00                             | INRZero<br>Only             |
| 1.09    | Onion                 |                                     | 1.00         | KG   |                                                                                   |             | 0.00                                                 | 0.00                             | INRZero<br>Only             |
| 1.10    | Suwa<br>(Indial Dill) |                                     |              |      |                                                                                   |             |                                                      |                                  |                             |
| 1.11    | Ginger                |                                     | 1.00         | KG   |                                                                                   |             | 0.00                                                 | 0.00                             | INRZero<br>Only             |

**वित्तीय आफर**

परिशिष्ट कमांक 8 के दिये गये प्रारूप में वित्तीय आफर अलग से वेबसाइट पर ही अपलोड किए जाना है तथा इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं की जाना है ।

Authority to submit Tender

(On Producer company's letterhead)

To,

The Managing Director

M.P.State Agro Industries Development Corporation Ltd.

Panchanan Bhawan, 3rd Flore , Malviya Nagar,

Bhopal

Sub : Authority to submit Rate Contract Offer

Dear Sir,

I..... Designation ..... hereby  
authorize Shri .....Designation  
.....to submit Rate Contract Offer to M.P. State Agro Industries  
Corporation Ltd on behalf of the company due on .....

We hereby undertake that the Company shall abide by all the terms and  
conditions as mentioned in Tender Document. I further certify that I am  
authorized to issue this certificate on behalf of the company. If an order is  
placed with the authorized company as above, the company undertakes to  
supply the order as per terms and condition of RCO.

(Signature)

Name  
Designation  
Tel No  
Mobile No  
E mail